

[श्री नवल किशोर शर्मा]

17. 29 hrs.

### ARREST OF MEMBER

MR. CHAIRMAN : I have to inform the House that the Speaker has received the following telegram, dated the 9th August, 1970, from the Sub-Divisional Magistrate, Supaul:—

"I have the honour to inform that Shri Gunanand Thakur, Member, Lok Sabha, has been arrested at 7 A. M. on the 9th August, 1970 at Kariho under Sections 107/114, Criminal Procedure Code in execution of warrant of arrest duly issued by Sub-Divisional Magistrate in order to prevent breach of peace in connection with forcible occupation of land in village Kariho. He is at present lodged in Supaul Jail."

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up the half-an-hour discussion.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Before you call the hon. Member Shri E. K. Nayanar to raise the half-an-hour discussion, I think somebody must be called on the earlier subject relating to the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that he can continue tomorrow.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : It is not necessary.

MR. CHAIRMAN : Is it necessary ? Shri S. M. Banerjee will speak. His name is on the list.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir...

17.31 hrs.

### HALF-AN-HOUR DISCUSSION

#### ALLEGED INVOLVEMENT OF KERALA MUSLIM LEAGUE IN SMUGGLING RACKET

MR. CHAIRMAN : The House will now take up the half-an-hour discussion on points arising out of the answer given on the 27th July, 1970 to Unstarred Question

कि इस समस्या को बहुत ही प्राथमिकता दी जाय। अभी मेरे मित्र उड़के और दूसरे मित्र कह रहे थे कि हरिजनों और आदिवासियों के क्षेत्रों में जो काम करने के लिए लोग जाते हैं वह दूसरे प्रान्तों के होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनका उन लोगों से सम्बन्ध नहीं होता। स्कूल की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों नहीं यह डिपार्टमेंट या राज्य सरकार यह क्यों नहीं करती है कि जिन क्षेत्रों के अन्दर चाहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे हरिजनों में काम करने वाले हों या आदिवासियों के क्षेत्रों में काम करने वाले अध्यापकों का सवाल हो या चाहे उनमें काम करने वाले दूसरे अधिकारियों का सवाल हो, क्या हम यह नहीं कर सकते हैं कि क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उसी क्षेत्र के हों और उसी तरह के लोग हों ? अगर अनुसूचित जाति में काम करना है तो अनुसूचित जाति के लोगों को उस काम पर लगाया जाना चाहिए। अगर अनुसूचित जन-जाति के लोगों में काम करना है तो अनुसूचित जन-जाति के लोगों को उसमें लगाया जाना चाहिए। इसका एक और अर्थात् परिणाम होने वाला है। उन लोगों को स्वाभाविक तौर से उनके प्रति सहानुभूति होती है और उसके परिणामस्वरूप वह ज्यादा कारगर तरीके से काम करेंगे।

इस सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन कर रहा था कि हरिजनों और ऐसे दूसरे लोगों के लिए उनके मुकद्दमों की देखभाल करने के लिए वकील नियुक्त किये जाने चाहिए। राजस्थान में तो यह सब है। लेकिन वही बात इसमें भी है। भले ही आप वकील नियुक्त करें लेकिन वही दलील यहाँ भी आती है कि अगर उसी जाति के लोगों को नियुक्त करेंगे तब तो उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं तो कोई लाभ होने वाला नहीं है।